उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
(उ0 प्र0 सरकार का उपकम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ।
(सिन नं0–U3201UP1999SGC024928)

संख्या : 2672–सप्र–11 / पाकालि / 2016–13–स0प्र0 / 2011 दिनांक : 22 सितम्बर, 2016

परिपत्र

अनु सचिव, ऊर्जा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन ने संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र सं0–1021 / सं0नि0–6(1) / 2016–17, दिनांक 22.07.2016 तथा उसके साथ संलग्न बेगम अख्तर पुरस्कार से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्त, सम्बन्धित शासनादेश, आवेदन पत्र के प्रारूप की छायाप्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित करते हुए **''बेगम अख्तर पुरस्कार''** हेतु अपने निगमों के पात्र महानुभावों के नामाकंन दिनांक 25.09.2016 तक उक्त पत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप शासन को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में अधोलिखित पृष्ठांकित अधिकारियों से अनुरोध है कि वे **''बेगम अख्तर पुरस्कार''** हेतु अपने अधीनस्थ तैनात पात्र महानुभावों के नाम सचिवालय प्रशासन–11 अनुभाग को विलम्बतम दिनांक 24.09.2016 साय 5:00 बजे तक अवश्यमेव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या : 2672(1)–स0प्र0–11 / पाकालि / 2016, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनु सचिव, ऊर्जा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 29.08.2016 की छायाप्रति समस्त संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

फैक्स / मेल

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, समस्त विद्युत वितरण निगम लि0।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) / (वित्त) / (वितरण) / (वाणिज्य) / (कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. अपर सचिव (प्रथम) / (द्वितीय) / (तृतीय), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. महाप्रबन्धक (औ0सं0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
7. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. उप विधि अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त उप सचिव / अनु सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. कट फाइल।
13. नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

22.9.16

(सुमन्त सिंह भण्डारी)
अनु सचिव (स0प्र0–11)

डा0 संजीव भारद्वाज
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
1—उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।
2—उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।
3—उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
4—उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग--2

लखनऊ: दिनांक: 29 अगस्त, 2016

विषयः— वित्तीय वर्ष 2016—17 में ''बेगम अख्तर पुरस्कार'' हेतु नामांकन भेजे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र संख्या—1021/सं0नि0—6(1)/2016—17 दिनांक 22.07.2016 तथा उसके साथ संलग्न बेगम अख्तर पुरस्कार से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्त सम्बन्धित शासनादेश, आवेदन पत्र के प्रारूप की छायाप्रतियां संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ''बेगम अख्तर पुरस्कार'' हेतु अपने निगमों के पात्र महानुभावों के नामाकंन दिनांक 25.09.2016 तक उक्त पत्र में दिये गये दिशा—निर्देशों के अनुरूप शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
अनु सचिव।

Managing Director
U.P.P.C.L.

मुख्य अभियंता (जल-विद्युत)/ संयुक्त सचिव (स0प्र0)

(एन0 पी0 सक्सेना)
अपर सचिव (का0प्र0-II)

(2)

सं0 ... / संग्रा0-6 ... 2016

निदेशक
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन, सचिवालय,
लखनऊ।

लखनऊ– दिनॉक 22 जलाई, 2016

विषय–वित्तीय वर्ष 2016–17 मे "बेगम अख्तर पुरस्कार" हेतु नामांकन भेजे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 की भांति वर्ष 2016–17 में मल्लिका–ए–गज़ल बेगम अख़्तर की स्मृति में दादरा/ठुमरी/गज़ल विद्याओं में ऐसे प्रतिभावान गायक, जिसकी आयु 40 वर्ष से कम न हो, को **"बेगम अख्तर पुरस्कार"** से सम्मानित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत चयनित कलाकार को रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) की धनराशि, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र भेंट स्वरूप प्रदान किया जायेगा। बेगम अख्तर पुरस्कार से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्त, सम्बन्धित शासनादेश, आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रतियां आपको सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप (कृति देव–10 पर सी0डी0 सहित) पर बेगम अख्तर पुरस्कार हेतु अपने अधीनस्थ विभागों के पात्र महानुभावों के नामांकन दिनांक 30 सितम्बर, 2016 तक अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे नियमानुसार उनके नामों पर विचार किया जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

7789/PSE/16

भवदीय,

(नीलम अहलावत)
निदेशक

1296

US/S2

(एन० एम० रिज़वी)
विशेष सचिव
संस्कृति
... शासन।

E:\Sumitra\Sumitra\Begum Akhtar

(3)

सेवा में

निदेशक
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 24 अगस्त,2015

विषय: बेगम अख्तर पुरस्कार के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादे संख्या–1806/चार–2015–01(पुरस्कार)/14 दिनांक 02 फरवरी,2015 के माध्यम से प्रदेश में दादरा, ठुम एवं गजल के क्षेत्र में विशेष प्रतिभावान एवं विशिष्ट गायक को **"बेगम अख्तर पुरस्कार"** दिये जाने है मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्गत किये गये थे। तदनुक्रम सम्यक् विचरोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत दिनांक 02 फरवरी,2015 के माध्यम से निर्धारित पूर्व मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अवक्रमित करते हुए उसके स्थ पर संलग्न संशोधित/नवीनतम मार्गदर्शी सिद्धान्त तत्काल प्रभाव से लागू किया जाय।

कृपया उपरोक्त लिये गये निर्णय के अनुसार आलोक में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव।

संख्या– (1)/चार–2015 तद्दिनांक

संलग्नक सहित प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2 स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5 कुलपति, भातखण्डे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6 निदेशक, संग्रहालय /पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ।
7. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ।
8 निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र , लखनऊ।
9 निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद।
10. सचिव, राज्य ललित कला अकादमी/उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ।
11. निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ।
12 गोपन अनुभाग–1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या–4/2/ 2/2015 –सीएक्स0(1) दिनांक 28 जनवरी,2015 के क्रम में।
13 वित्त इ–7 अनुभाग, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
14 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

Draft 2015

[illegible]
विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

(3) प्राप्त नामांकनों का परीक्षण निदेशक, संस्कृति [illegible] द्वारा गठित परीक्षण समिति द्वारा किया जायेगा।

(4) परीक्षण समिति द्वारा उपयुक्त नामों की संस्तुति की जायेगी जिसमें प्रत्येक विधा के दो–दो विशेषज्ञता प्राप्त लोगो को भी रखा जायेगा। समिति की संस्तुति को निदेशक, संस्कृति द्वारा शासन को अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जायेगा।

(5) शासन स्तर पर निदेशक, संस्कृति से प्राप्त संस्तुतियों पर निर्णय लेने हेतु मा0 मंत्री, संस्कृति विभाग की अध्यक्षता में निम्नलिखित चयन समिति गठित की जायेगी: –

(i)	मा0 मंत्री, संस्कृति विभाग	अध्यक्ष
(ii)	प्रमुख सचिव / सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(iii)	निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।	संयोजक सदस्य

(6) चयन समिति द्वारा प्राप्त नामांकनों में से सर्वश्रेष्ठ कलाकारों के नामों की संस्तुति मा0 मुख्यमंत्री जी को भेजी जायेगी।

(7) मा0 मुख्यमंत्री जी को प्राप्त नामों के अतिरिक्त किसी सुयोग्य कलाकार के नाम को बेगम अख्तर पुरस्कार प्रदान करने हेतु विचार करने का विशेषाधिकार प्राप्त होगा।

(8) बेगम अख्तर पुरस्कार के चयन के लिये मा0 मुख्यमंत्री जी का निर्णय अन्तिम होगा।

सम्मान समारोह :

(1) शासन द्वारा चयनित कलाकार को बेगम अख्तर पुरस्कार एक भव्य समारोह में दिया जायेगा।

(2) सम्मान समारोह में गरिमा के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

(3) सम्मान समारोह में भाग लेने हेतु चयनित कलाकार को आने–जाने हेतु वायुयान या प्रथम श्रेणी वातानुकूलित रेल का किराया (निवास स्थान से कार्यक्रम के स्थान तक) अनुमन्य होगा तथा दो दिन के लिए उपयुक्त होटल / अतिविशिष्ट अतिथि गृह में भोजन एवं आवास की व्यवस्था की जायेगी। पुरस्कार हेतु चयनित कलाकार के अत्यन्त वृद्ध / अस्वस्थ होने की दशा में एक सहायक साथ लाने की अनुमन्यता होगी जिसे चयनित कलाकार के समान ही आने–जाने एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जायेगी।

[illegible]
राजकीय आवास की व्यवस्था [illegible]

स्मारिका . बेगम अख्तर पुरस्कार सम्मान समारोह के अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन भी किया जायेगा।

8 उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त में समय-समय पर यथा आवश्यकतानुसार संशोधन हेतु मा० मुख्य मंत्री जी अधिकृत होगें।

21/8

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव